



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/4235
दिनांक: 30.10.2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

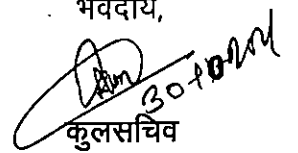
कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।। दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें बिन्दु संख्या-06 पर दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र/छात्राओं की संख्या प्रमाणित किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में निम्नवत् सूचना उपलब्ध कराये:-

2. महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा अपने लॉगिन से अग्रसारित छात्र/छात्राओं की संख्या एवं संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता पत्र के साथ पी.डी.एफ. फाईल में उपलब्ध कराये।
3. यदि छात्र/छात्राओं का प्रवेश विश्वविद्यालय के पंजीकरण पोर्टल के अलावा अन्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार हुआ है तो छात्र/छात्राओं का ऑफर लैटर का पी.डी.एफ. फाईल में उपलब्ध कराये।
4. महाविद्यालय/संस्थान के सचिव/प्राचार्य के द्वारा 100 रुपये का शपथ-पत्र इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार के नियमों के अनुसार ही अग्रसारित किया जा रहा है। यदि इसमें कोई छात्र/छात्रा का छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र नियम विरुद्ध अग्रसारित किया जाता है तो महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा अग्रसारित छात्र/छात्राओं का 75 प्रतिशत से उपर की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराये।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाये दिनांक 03.11.2021 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी वेबसाइट।


कुलसचिव